बलात्कार, अपहरण के मामले में दो गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 अक्तूबर।

बलात्कार और अपहरण के मामलों में वांछित 27 वर्षीय युवक और उसके भाई को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जीटी करनाल रोड इलाके से गिरफ्तार किया है।

अपराध शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला निवासी आशीष चौहान (27) और दीपक चौहान (23) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आशीष ने अपने सहयोगी विवेक, रोहित, विनोद और सुनील के साथ मिलकर 29 अगस्त, 2017 को जीटी करनाल रोड से पिस्तौल के बल पर एक व्यक्ति का साल 2017 में अपहरण किया और तीन करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आशीष के ठिकाने की जानकारी पर जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने और उसके सहयोगी ने दल पर गोलियां चलाईं। उन्होंने बताया कि संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आशीष और उसके सहयोगी आर्यन को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आर्यन घायल हो गया था। इस संबंध में अलीपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि आशीष को तीन नवंबर, 2020 को जमानत मिल गई थी, लेकिन वह सुनवाई के दौरान अदालत पेश नहीं हुआ जिसके बाद उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया।

पूर्व विधायक को टैक्सी चालकों ने पीटा, आरोपियों की तलाश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 अक्तूबर।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे विजय सिंह यादव के साथ दिल्ली में टैक्सी चालकों के हाथों मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने पूर्व विधायक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

पूर्व विधायक विजय सिंह ने दिल्ली छावनी थाने में दी गई शिकायत में कहा है कि 16 अक्तूबर की रात वे वाराणसी से विमान द्वारा पालम स्थित आइजीआइ हवाई अड्डे के टर्मिनल-दो पर पहुंचे। यहां वीआइपी पार्किंग से निकलने के बाद उन्होंने नोएडा के लिए एक टैक्सी किराए पर ली। किराया तय होने के बाद वे नोएडा के लिए टैक्सी से निकले। हवाई अड्डा से निकलने के बाद चालक ने विधायक से कहा कि वह दूसरी टैक्सी पर बैठ जाएं। यह कहने के साथ चालक टैक्सी को तय रास्ता छोड़कर किसी दूसरे मार्ग पर ले जाने लगा। इस पर पूर्व विधायक ने एतराज जताया तो दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। पूर्व विधायक का आरोप है कि टैक्सी जब धौलाकुआं के पास दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन के पास रुकी तो वहां दो लड़के पहले से चालक का इंतजार कर रहे थे।

आरोप है कि यहां जब पूर्व विधायक टैक्सी से उतरकर बाहर जा रहे थे, तो वहां टैक्सी चालक समेत तीनों ने उन्हें रोककर पिटाई शुरू कर दी। वे मारपीट का विरोध करते रहे, लेकिन आरोपियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। पिटाई के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद पूर्व विधायक ने मामले से पुलिस को अवगत कराया और कहा कि अभी उनकी स्थिति सही नहीं है, ऐसे में वे दो तीन बाद थाना आकर पूरी बात बताएंगे। इसके बाद 22 अक्तूबर को पूर्व विधायक थाना पहुंचे और पूरी कहानी बताई। पुलिस मामले में घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की कोशिश कर रही है।

निर्माणाधीन इमारत में लिफ्ट टूटकर गिरी, एक की मौत

जसोला विहार में बन रही एक चार मंजिला इमारत में हुआ हादसा।

पुलिस ने इमारत के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है।

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 अक्तूबर।

जसोला विहार में निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट टूटकर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान जैतपुर एक्सटेंशन निवासी नवाब शाह के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए शवगृह में रखवा दिया है।

हादसे की वजह तकनीकी खराबी मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इमारत के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

जानकारी के मुताबिक जसोला विहार में बन रही एक चार मंजिला इमारत की लिफ्ट मंगलवार को अचानक से टूट गई। इस हादसे में इमारत में काम करने वाले नवाब शाह बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें सरिता विहार स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार जसोला विहार में चार मंजिला इमारत के निर्माण का कार्य पिछले दो-तीन सालों से चल रहा है। लिफ्ट में सवार मजदूर नवाब शाह नीचे गिर गए, इस दौरान उनके दोनों पैर कट गए थे। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई।

दस घंटे के अंदर हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 अक्तूबर।

दिल्ली पुलिस ने घटना होने के सिर्फ दस घंटे के अंदर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रसंग में हुई इस हत्या का आरोपी पीड़ित का दोस्त बताया जा रहा है। आरोपी ने हत्या के बाद शव को छावनी इलाके में बने सीवर के एक गड्ढे में डाल दिया था। इस मामले में दो आरोपियों को राजस्थान के चुरु से गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान सीता राम सुतार और संजय बुछा के रूप में हुई है। मृतक युवक की पहचान मनीष उर्फ विष्णोई के रूप में हुई है।

बंद घरों को निशाना बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर। दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस की टीम ने बंद घरों को निशाना बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह बंद घरों को निशाना बनाते थे।

आरोपी महंगे सामान और आभूषण पर हाथ साफ करते थे। आरोपियों की पहचान नोएडा सेक्टर-16 जेजे कालोनी निवासी लक्ष्मी (45), हरिजन बस्ती, दल्लूपुरा निवासी बब्लू (40) और खिचड़ीपुर, कल्याणपुरी निवासी धमेंद्र (40) के तौर पर की गई है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने सोने-चांदी के आभूषण और एक कार जब्त की है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी राजधानी में वारदात को अंजाम देने के बाद मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में एक आभूषण विक्रेता को चोरी के सामान बेचते थे। (जसं)

डीयू : 36 फीसद अभ्यर्थियों ने 'अपग्रेड' विकल्प को चुना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 अक्तूबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की दाखिला प्रक्रिया में सीट आबंटन के पहले दौर में प्रवेश पाने वाले 59,100 उम्मीदवारों में से लगभग 36 फीसद ने बुधवार शाम तक अपनी 'पाठ्यक्रम और कालेज संयोजन' वरीयता को 'अपग्रेड' करने के लिए आवेदन किया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के मुताबिक कुल 21,312 उम्मीदवारों ने अपग्रेड का विकल्प चुना है। डीयू ने स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला पा चुके उम्मीदवारों को अपनी 'पाठ्यक्रम और कालेज संयोजन' वरीयता को अपग्रेड करने के लिए बुधवार से दो दिन का समय दिया है।

डीयू के एक अधिकारी के मुताबिक 'पाठ्यक्रम और कालेज संयोजन' वरीयता को अपग्रेड करने का विकल्प उन उम्मीदवारों को नहीं दिया जाएगा, जिन्हें अपनी पहली वरीयता का पाठ्यक्रम और कालेज आबंटित किया जा चुका है। साढ़े छह हजार से अधिक उम्मीदवार हैं जिन्हें पाठ्यक्रम और कालेज की उनकी पहली वरीयता आबंटित की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेजों में सीटों के आबंटन का पहला दौर मंगलवार को संपन्न हुआ था, जिसमें लगभग 59,100 उम्मीदवारों ने शुल्क का भुगतान कर-के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला ले लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर के कालेजों हिंदू और मिरांडा हाउस में ज्यादातर सीट पहले ही भर चुकी हैं।

इसी तरह सेंट स्टीफंस कालेज में, कई पाठ्यक्रमों में केवल कुछ पीडब्लूडी (दिव्यांग व्यक्ति) की सीट ही बची हैं। मिरांडा हाउस कालेज में, 20 से अधिक पाठ्यक्रमों की सभी सीट भर चुकी हैं।

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड
TATA
पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 CIN No. U67190MH2008PLC187552

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित तिथि से उस पर बयाज तथा दंड ब्याज, चार्जेज, लागत आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

ऋण खाता सं.	देनदार/सांविधिक उत्तराधिकारी/सांविधिक प्रतिनिधि (यों) का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जा की तिथि
TCHHF06347 000100064997 एवं 10512473 एवं 10679034	हति फूड सान्ता एंड टेम्नोलाजी प्राईवेट लिमिटेड, द्वारा उसके निदेशकों (ऋणधारक के रूप में) तथा श्री सागर शुक्ला तथा श्री अनिल शुक्ला ऊर्फ अनिल कुमार शुक्ला तथा श्रीमती रंजना शुक्ला (ऋणधारक के रूप में)	आपके द्वारा देय राशि ऋण खाता सं. TCHHF0347000100064997 के अंतर्गत रु. 25,30,613/- तथा ऋण खाता सं. 10679034 के अंतर्गत रु.6193347/ तथा ऋण खाता से 10512473 के अंतर्गत आपके द्वारा देय राशि रु. 94,96,487/- अर्थात कुल रु. 1,82,20,446/- है।	22-10-2022

प्रतिभूति परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों/ गिरवी सम्पत्तियों का विवरण: बिक्री प्रलेख में वर्णित सभी सामूहिक सुविधाओं के साथ विवेक खंड, गोमती नगर वार्ड, राजीव खंड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में स्थित सम्पत्ति प्रथम तल, व्यावसायिक प्लाट नं. 3/187 पर निर्मित, माप 174.72 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी : पूर्व : 12 मी. चौड़ा रोड, पश्चिमः प्लाट नं. 03/184, उत्तरः मकान से 3/186, दक्षिणः मकान से. 3/188

TCHH FO347 000 100001203	श्री अनाविल कुमार पाठक (ऋणधारक के रूप में) एवं श्रीमती प्रीति पाठक, श्रीमती इन्दू देवी शर्मा (सह-ऋणधारक के रूप में)	रु 27,23,789/-	22-10-2022

प्रतिभूति परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों/ गिरवी सम्पत्तियों का विवरण: बिक्री प्रलेख में वर्णित सभी सामूहिक सुविधाओं के साथ प्लॉट नं- 07, माप 1800 वर्गफीट अर्थात- 167.286 वर्ग मी., कवर्ड एरिया 46.468 वर्ग मी. जो खसरा नं. 69 मिन में स्थित है जो मधयगंज, वार्ड त्रिवेणी नगर, लखनऊ(उत्तर प्रदेश) में स्थित है, पर निर्मित आवासीय मकान 536/2/11 का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी : पूर्व : राम देव वर्मा की दीवाल, पश्चिम : कल्लू माम कश्यप की दीवाल, उत्तर : दिलीप वर्मा की दीवाल, दक्षिण, 15' चौड़ा रोड

तिथि: 27.10. 2022 हस्ताः /- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : लखनऊ कृत्ते, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

POONAWALLA HOUSING FINANCE
Apna Ghar, Apni Pehchan

पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठवां तल, जीरो वन आईटी पार्क, सीरि. नं. 79/1, घोरपाड़ी, मुंधवा रोड, पुणे-411036
शाखा कार्यालय इकाई : तृतीय तल, भूखंड सं. 3, सेक्टर-3, कौशांबी, एक्सिस बैंक के समीप, गाजियाबाद-201010

ई-नीलामी विक्रय सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत प्रतिभूत अचल परिसंपत्ति का विक्रय।
एतद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों को सूचित किया जाता है कि मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. के पास बंधककृत निम्नवर्णित संपत्तियां अब निगमीकरण के प्रमाणपत्र द्वारा पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में नवनामित हो चुकी हैं। इनका अधिग्रहण अधिनियम की धारा 13(4)/धारा 14 के अंतर्गत कंपनी के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया था। अब इन्हें निम्न वर्णित नियमों के अनुसार ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जायेगा। यह विक्रय प्रयोज्य ब्याज, शुल्कों एवं लागतों इत्यादि के साथ देय कंपनी की बकाया देयराशियों की वसूली के लिये किया जायेगा।
निम्न वर्णित संपत्ति को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली (यहां इसमें इसके उपरांत नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत "जैसी हैं जहां हैं, वहां जो कुछ भी हैं तथा बिना उपाय आधार" पर बेचा जा रहा हैः
विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् www.poonawallahousing.com में दिए गए लिंक को देखें।

प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (बी)	अधिग्रहण की प्रकृति (सी)	संपत्ति का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (ई)	धराज (आरपी की 10%) (एफ)	धराज जमा करने की तिथि (जी)	वृद्धिशील बोली (एच)	संपत्ति निरीक्षण तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि और समय (जे)	ज्ञात भारग्रस्तताएं/न्यायालयी प्रकरण, यदि कोई, (के)
ऋण सं.: HM/0031/H/17/100152 कयामुद्दीन (मृतक होने के बाद से) फिरोजा बानो क्लासिक प्लास्टिक	**सूचना तिथि: 21.06.2022** **कुल देयराशि:** **रु. 66,72,168.04/-** (रुपये छियासठ लाख बहत्तर हजार एक सौ अड़सठ एवं चार पैसे मात्र) जो 21.06.2022 के अनुसार वसूली होने तक 11.80 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज सहित भुगतानयोग्य है	भौतिक	बंधककृत संपत्ति सं. 2/31, पुरानी सं. 27 के समस्त वह भाग तथा अंश जिनकी माप 54 वर्ग गज है जो खसरा सं. 268 मिन. में से, ग्राम-बाबरपुर के क्षेत्र, मसजिद वाली गली, पूर्वी बाबरपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली में स्थित हैं	रु. 88,45,725/- (रुपए अट्ठासी लाख पैंतालीस हजार सात सौ पच्चीस मात्र)	रु. 8,84,572/- (रुपए आठ लाख चौरासी हजार पांच सौ बहत्तर मात्र)	08.12.2022 को 5 बजे से पूर्व	रु. 50,000/-	02.12.2022 को (11 बजे-4 बजे)	09.12.2022 को (11 बजे-2 बजे)	शून्य

क्रय एवं विक्रय पर अन्य विवरणों तथा पूछताछों के लिये इकबाल आलम को (मोबाइल 9958195453) पर संपर्क करें

इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह है कि शाखा तथा नीलामी पर रखी गयी संपत्तियों को देखने के लिये पहुंचे और शुल्कों, ऋणभारों के संबंध में अनिवार्य जानकारी प्राप्त करें। क्रेता को अपने स्वयं की जांच-पड़ताल करनी होगी तथा अतिरिक्त शुल्कों, ऋणभारों एवं किसी तृतीय-पक्ष के हितों को सुनिश्चित करना होगा और उपरोक्त संपत्ति से जुड़े हुये समस्त पहलुओं के बाबत स्वयं को/अपने आप को संतुष्ट करना होगा। संपत्ति से संबद्ध समस्त सांविधिक देयताओं जैसे कि संपत्तिगत करों, बिजली के बकायों तथा किसी अन्य देनदारी, यदि कोई हो, का सुनिश्चयन तथा भुगतान सफल बोलीदाता(ओं)/संभावित क्रेता(ओं) द्वारा किया जायेगा। बोलीदाता(ओं)/संभावित क्रेता(ओं) से उनके स्वयं के हित में अनुरोध है कि वे बोलियां जमा करने से पहले उपरोक्त के संबंध में तथा उपरोक्त वर्णित संपत्ति/संपत्तियों से संबंधित अन्य सुसंगत विवरणों के संबंध में स्वयं/अपने आप को संतुष्ट कर लें।
इच्छुक बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्रा. लि., पताः भूखंड सं. 68, तृतीय तल, गुड़गांव, हरियाणा-122003, हेल्पलाइन नंबरः 7291981124, 25, 26, सपोर्ट ईमेल आईडीः **Support@bankeauctions.com** संपर्क हेतु व्यक्तिः विनोद चौहान, ईमेल आईडीः **delhi@c1india.com**, संपर्क नंबरः 9813887931 से संपर्क करके/उनसे जानकारी प्राप्त कर स्वयं को पोर्टल पर पंजीकृत कर लें और अग्रिम में लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर लें, जो ई-बोलीदान हेतु अनिवार्य है। कृपया ध्यान रखें कि संभावित बोलीदातागण केवल इन्हीं से ही ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता से अपेक्षा है कि वे धरोहर राशि जमा (धराज) की राशि को 08.12.2022 को अथवा इससे पूर्व किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से "पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लि." के खाते, बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लि., खाता सं. 000651000460 तथा आईएफएससी कोड- आईसीआईसी0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी मार्ग, कोलकाता-700001 में जमा करें और **https://www.bankeauctions.com** पर अपना नाम पंजीकृत करें तथा प्रयोक्ता आईडी व पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर उनके पंजीकरण के उपरांत इच्छुक क्रेता/बोलीदाता से अपेक्षा है कि वे निम्नलिखित प्रलेखों की प्रतियों को अपलोड करें, स्वप्रमाणित वास्तविक प्रतियों को पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लि. के प्राधिकृत अधिकारी श्री सुधांशु शर्मा, पताः तृतीय तल, भूखंड सं. 3, सेक्टर-3, कौशांबी, एक्सिस बैंक के समीप, गाजियाबाद-201010, मोबाइल नं.: 9953904004, ई-मेल आईडी : **sudanshu.sharrma@poonawallahousing.com** को ई-मेल एवं प्रेषित करें।
स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
दिनांकः 27.10.2022 (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात)

Bank of India
Relationship beyond banking

ई-नीलामी बिक्री सूचना
सम्पत्तियों की ई-नीलामी : 25.11.2022
बैंक ऑफ इंडिया, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली क्षेत्र "स्टार हाऊस" एच-2, क्नॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, फोन नं. 011-28844099

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस,
आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी द्वारा** दिनांक **25.11.2022** को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 05.00 बज तक बेचा जाएगा।
बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है: वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) बंधककर्ता(ओं) का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कुल देय	क. आरक्षित मूल्य ख. ईएमडी ग. बोली वृद्धि राशि	संपत्ति का निरीक्षण संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व नियुक्ति के बीच किया जा सकता है।	प्राधिकृत अधिकारी सम्पर्क नं.
1	उधारकर्ताः मैसर्स ईओएचएस सॉल्यूशंस (प्रोपराईटर – योगेश परमार) गारंटर : नूतन परमार	रिहायशी सम्पत्ति जोकि डीडीए जनता फ्लैट नं. 592, द्वितीय तल, पॉकेट-2, पश्चिम पुरी, नई दिल्ली-63 में स्थित, यह सम्पत्ति सुश्री नूतन परमार के नाम पर है। क्षेत्रफल 36 वर्ग मी. (सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	रु. 38.75 लाख + अंचार्ज ब्याज + अन्य प्रभार	a) रु. 22,03,000/- b) रु. 2,20,300/- c) रु. 10000/-	22-11-2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	सुश्री निक्की त्यागी 011-25718546 मो. 9999185166

नियम और शर्तें
1) नीलामी बिक्री / बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया" **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर अपना नाम पंजीकृत करवाना है और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना है, जिसके पश्चात उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
3) **नीलामी की तिथि और समय : 25.11.2022 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 05:00 बजे तक असीमित 5 मिनट प्रत्येक ऑटो-एक्सटेंशन के साथ।**
4) ई-नीलामी जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आरक्षित मूल्य प्लस प्रथम वृद्धिशील मूल्य पर शुरू होगी। उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के लिए बोलीदाता एक साथ तालिका में उल्लिखित गुणकों में अपनी बोली बढ़ाएँगे।
5) इच्छुक बोलीकर्ताओं को संपत्ति के क्रय के लिए ई-नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक दस्तावेजों/विवरणों को ईएमडी वॉयलट के साथ जो कि आरक्षित मूल्य का 10% (उपरोक्तानुसार) 24.11.2022 **तक** ई-बिक्रय पोर्टल **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर जमा करना होगा।
6) उच्चतम/सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि जो कि आरक्षित मूल्य का 10% है, को मिलाकर बोली/खरीद राशि का 25% बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंकिंग अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
7) बोली/खरीद राशि की शेष 75% राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 वें दिन या उससे पहले (बैंकिंग कार्यदिवस के दौरान) या पूरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार लिखित में किए गए समझौते के अनुसार बढ़ाई गयी ऐसी किसी तिथि तक जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी/बैंक के पास नीलामी रद्द करने और नई नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8) सम्पूर्ण बिक्री राशि प्राप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं लेगा।
9) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें
10) **यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को अग्रिम में 15 दिनों का नोटिस भी है।**

दिनांक 25.10.2022, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया

प्रबंधक के साथ लूटपाट करने के आरोप में दो गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 अक्तूबर।

सब्जी मंडी थाना क्षेत्र में दीपावली की रात को एक प्रबंधक से लूटपाट करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए एक नाबालिग के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों की पहचान मोहित (20) और प्रशांत (18) के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रशांत का जन्मदिन था। प्रशांत और मोहित दोनों नशे के आदी है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर लूट गए 3,700 रुपए बरामद किए हैं।

उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने बताया कि दीपावली की रात 'काके दी हट्टी' होटल के प्रबंधक के साथ तीस हजारी कोर्ट के पास लूटपाट हुई थी। पीड़ित हरिशंकर गंगवार ने पुलिस को बताया कि वह मोरी गेट इलाके में रहता है और वह फतेहपुरी स्थित एक होटल में प्रबंधक की नौकरी करता है। वह ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहे थे। रात करीब 12:15 बजे जैसे ही वह राजेंद्र मार्केट पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तभी तीन लड़कों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद उससे उसका पर्स लूट लिया और मौके से फरार हो गए। पर्स में नगदी के अलावा आधार, डीएल व अन्य सामान मौजूद था। हरिशंकर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज की मदद से टीम ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया।

तस्कर को पकड़ने के दौरान पुलिसकर्मी घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 अक्तूबर।

मादक पदार्थ तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया।

घायल पुलिसकर्मी उत्तर-पूर्वी जिले में तैनात है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए अपनी कार से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक तस्कर का पीछा करने के दौरान कॉन्स्टेबल हरेंद्र के कूल्हे की हड्डी टूट गई और उन्हें पटपड़गंज के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि, टीम ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। तस्कर की पहचान दयालपुर के प्रेम नगर निवासी अंकुर के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस गश्त के दौरान कारवाल नगर के आलोक पुंज स्कूल के पीछे एक कार खड़ी दिखी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में चालक की सीट पर बैठा पाया।

दो पुलिसकर्मियों ने जब उसे कार की डिक्की खोलने के लिए कहा, तो उसने कार से भागने की कोशिश की, इस दौरान कांस्टेबल हरेंद्र ने आरोपी का पीछा किया। आरोपी की कार कुछ दूर जाने के बाद एक दीवार से टकरा जाती है। इस हादसे में कांस्टेबल हरेंद्र घायल हो जाते हैं।

'दो दिन कर्णी सिंह शूटिंग रेंज रोड पर जाने से बचें'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 अक्तूबर।

दिल्ली यातायात पुलिस ने यात्रियों से गुरुवार और शुक्रवार को महरौली-बदरपुर रोड से सूरज कुंड तक फरीदाबाद की ओर जाने वाली 'डा कर्णी सिंह शूटिंग रेंज' रोड पर यात्रा से बचने का अनुरोध किया है। यातायात पुलिस ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा, दिल्ली और हरियाणा के यात्रियों से अनुरोध है कि विशेष सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के कारण 27 और 28 अक्तूबर को सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक एमबी रोड से सूरज कुंड तक फरीदाबाद की ओर डा कर्णी सिंह शूटिंग रेंज रोड की तरफ जाने से बचें।

www.readwhere.com